


फर्द अहकाम

रमा देवी बनाम राजू ११०

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जलमालामगढ़ जयपुर

केस संख्या 176/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	28/3/23	पत्रावली पेश हुई। वकील जार्ज 350 पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी/जमान दिनांक 24/4/23 को पेश हो। <div style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी जलमालामगढ़, जिला-जयपुर</div>
	24/4/23	पत्रावली पेश हुई। 500 करके एडवाकर के लो न/न पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी/जमान दिनांक 23/05/23 को पेश हो।
	23/05/23	पत्रावली पेश हुई। 500 करके एडवाकर के लो न/न पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी/जमान दिनांक 20/06/23 को पेश हो।
	20/06/23	पत्रावली पेश हुई। वकील जार्ज 350। अजार्जि 1 व 2 दिनांक 6/4/23 को उपस्थित। तहसीलदार जलमालामगढ़ की पत्रांक 559 दिनांक 28/02/23 के द्वारा पत्र लिखा गया कि आप 9 फरवरी जार्जिना पत्र में अंकित खतलन की त्वरित मौका स्थिति की जांच कर रिपोर्ट आगामी पेशी 9/3/23 को पेश करें। लेकिन आदिनांक तक तहसीलदार जलमालामगढ़ ने अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की। दिनांक 17/4/23 को पत्रावली एतका बोनाडी की रिपोर्ट



उपखण्ड अधिकारी
जलमालामगढ़, जिला-जयपुर

फर्द अहकाम

शरमा देवी बनाम शरण कौं०

उपलब्ध अधिकारी जमवाटमगढ़ जपपुर
2022

या	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>घाटे हुई। वकील पार्थी की वकालत रुकी गई। वकालत रुकने व पत्रावली का अक्षयिकरण करने पर एवं पत्रावली में उपलब्ध सीमाज्ञान के आधार पर फर्द पार्थीना पत्र 128 एल० आर० एक्ट को स्वीकार किया जाभा हुंकिर सप्तम है।</p> <p>अतः पार्थीना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल० आर० एक्ट को स्वीकार किया जाता है। यदि डिवाइड शक्ति ख० न० 178/59 रकबा 0.3900 ह०, ख० न० 179/59 रकबा 0.0200 ह०, ख० न० 180/59 रकबा 0.8250 ह० शक्ति वाले जाम जौल परवाट हल्का केवाडी तहसील जमवाटमगढ़ जिला जपपुर पर किंगी - मापालक का स्थगन का आदेश ना होगे मुताबिक सीमाज्ञान आदेश क्रि० 24/06/2022 के अनुसार प्रस्तुत करने के आदेश दिए जाते हैं।</p> <p>निर्णय की फाति तहसीलदार जमवाटमगढ़ को पालनावर भेजी जाके। पत्रावली केवल शुकाट होकर नभर से रुक हो।</p>	


 20/02/22
 उपलब्ध अधिकारी
 जमवाटमगढ़, जिला-जपपुर